न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 82/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 गंगाराम 2 साधुराम 3 लखमणाराम 4 केशाराम पिसरान चिमाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील बाडमेर 5 अचलीदेवी पुत्री चिमाराम पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी जाणियावाला (बाछड़ाऊ) तहसील चौहटन 6 जेतीदेवी पुत्री चिमाराम पत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी गीठी की बेरी तहसील गुडामालानी 7 गंगादेवी पुत्री चिमाराम पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी लोलावा तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर।	बनाम	1 चिमाराम 2 दलाराम 3 वीराराम 4 नारणाराम पिसरान भभूताराम 5 दीपाराम 6 गुमनाराम 7 विशनलाल 8 पूर्णाराम 9 भींयाराम 10 तगाराम पिसरान खेराजराम 11 पदमोदेवी पत्नी खेराजराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री जगदीश चौधरी, वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 2-10-19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 011 स्वर्गीय भभूताराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 702/553 रकवा 123.02 वीघा, खसरा संख्या 704/556 रकवा 103.14 वीघा, खसरा संख्या 706/591 रकवा 62.00 वीघा भूमि व मौजा नीम्बासर नाडी पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 261/162 रकवा 70.11 वीघा भूमि व मौजा जान्दुओं की नाडी पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 702/553, 704/556, 706/591 का विभाजन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से 11 के मध्य विभाजन होने से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खसरा संख्या 850/553 रकवा 20.16 वीघा व खसरा संख्या 704/556 रकवा 36.02 वीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के पैमाईश प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पिता व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 05 से 10 के दादा व प्रतिवादी संख्या 11 के ससुर के नाम दर्ज हुई। भभूताराम की फौतगी पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 एवं प्रतिवादी संख्या 05 से 10 के पिता खेराजराम व प्रतिवादी संख्या 11 के पति के नाम दर्ज हुई। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 का कब्जा काश्त है। मौजा जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) के खसरा संख्या 850/553 व 704/556 कुल रकवा 56.18 वीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा तथा मौजा नीम्बासर नाडी (हाथीतला) के खसरा संख्या 261/162 रकवा 70.11 वीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा खातेदारी में निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकवाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के जायन्दा पुत्र–पुत्रियां होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 एवं नामान्तकरण संख्या 35 व 77 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) के खसरा संख्या 850/553 व 704/556 कुल रकबा 56.18 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा तथा मौजा नीम्बासर नाडी (हाथीतला) के खसरा संख्या 261/162 रकबा 70.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खांता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO)

निर्णय आज दिनांक 3-10-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 नेनाराम 2 साधुराम 3 रूखमणाराम 4 केसाराम पिसरान चिमाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील बाडमेर 5 अचलीदेवी पुत्री चिमाराम पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी जाणियावाला (बाछड़ाऊ) तहसील चौहटन 6 जेतीदेवी पुत्री चिमाराम पत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी मीठी की बेरी तहसील गुडामालानी 7 गंगादेवी पुत्री चिमाराम पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी लोलावा तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर।	बनाम	1 चिमाराम 2 दलाराम 3 वीराराम 4 नारणाराम पिसरान भभूताराम 5 दीपाराम 6 गुमनाराम 7 विशनलाल 8 पूर्णाराम 9 भींयाराम 10 तगाराम पिसरान खेराजराम 11 पदमोदेवी पत्नी खेराजराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 82/2019

निर्णय दिनांक :– 3-10-19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जान्दुओं की नाडी (हाथीतला) के खसरा संख्या 850/553 व 704/556 कुल रकबा 56.18 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा तथा मौजा नीम्बासर नाडी (हाथीतला) के खसरा संख्या 261/162 रकबा 70.11 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 3-10-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद-पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	